हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 27.03.2026 को मेसर्स श्री गोपाल चंद पुत्र श्री साधु राम गाँव खोरोंवाला, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, की मोजा मोहाल मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, खसरा नंबर 589/477/188 और 635/613/590/188 और कुल खनन क्षेत्र 2.52 हेक्टेयर (30-00 बीघा) तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, व बोल्डर खनन (क्षमता 51520 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 27.03.2026 को मेसर्स श्री गोपाल चंद पुत्र श्री साधु राम गाँव खोरोंवाला, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई डेफोडिल स्कूल के पास खुले मैदान में, नवादा, पांवटा साहिब , जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई।

प्रस्तावित खनन पट्टा मोजा मोहाल मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, खसरा नंबर 589/477/188 और 635/613/590/188 और कुल खनन क्षेत्र 2.52 हेक्टेयर (30-00 बीघा) तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, व बोल्डर खनन (क्षमता 51520 टन प्रति वर्ष हेतु, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **संलग्न-1** में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त में कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह से परियोजना के संदर्भ में अपने विचार, सुझाव एवं आपत्तियां निसंकोच प्रस्तुत करने का आहवान किया गया।

क्रम संख्या	**नाम व पता**	**उठाये गए मुद्दे**	**मुद्दों पर टिपणी**
1	श्री पवन शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण	परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि ग्राउंड वाटर सैंपलिंग के पॉइंट्स कहाँ-कहाँ स्थित हैं?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राउंड वाटर सैंपलिंग परियोजना स्थल, मोहकमपुर, हरिपुर, गोरखुवाला , बांगरण, मानपुर देवरा, अजोली एवं खोरोंवाला नामक गाँव से की गई है

	नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब.		तथा सतही जल के लिए गिरी नदी के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम स्थानों से नमूने लिए गए।
		परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि पानी की सैंपलिंग में कौन-कौन से पैरामीटर्स लिए गए हैं तथा क्या वे निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.पी. एक्ट, 1986 के अंतर्गत जनरल पैरामीटर्स सहित कुल 20 पैरामीटर्स का विश्लेषण किया गया है तथा सभी पैरामीटर्स निर्धारित मानकों की सीमा के भीतर पाए गए हैं।
		परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि सतही जल के नमूने किन-किन स्थानों से लिए गए हैं, अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम पॉइंट्स कौन-से हैं तथा किन-किन पैरामीटर्स का परीक्षण किया गया है?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सतही जल के नमूने गिरी नदी से लिए गए हैं, जिनमें अपस्ट्रीम स्थान मुगलावाला तथा डाउनस्ट्रीम स्थान आम्बवाला है। जल गुणवत्ता के लिए pH, टर्बिडिटी, कंडक्टिविटी, तापमान, अल्कैलिनिटी, सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, टोटल हार्डनेस, कैल्शियम हार्डनेस, मैग्नीशियम हार्डनेस, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, DO, सोडियम, पोटैशियम, आयरन एवं फॉस्फोरस पैरामीटर्स का परीक्षण किया गया है।
		परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि प्रस्तावित परियोजना के संचालन से जाँचे गए जल गुणवत्ता पैरामीटर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना से जल प्रदूषण नहीं होगा। खनन कार्य अधिकतम 1 मीटर गहराई तक किया जाएगा तथा वर्षा ऋतु में पूर्णतः बंद रहेगा। उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट का निस्तारण सेप्टिक टैंक/मॉड्यूलर STP के माध्यम से किया जाएगा तथा इसे जल स्रोतों में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।
		परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि प्रस्तावित 3.8 KLD जल का उपयोग किन-किन कार्यों हेतु किया जाएगा?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित 3.8 KLD जल में से 0.9 KL ग्रीन बेल्ट विकास हेतु तथा 1.8 KL घरेलू

			उपयोग हेतु प्रयुक्त किया जाएगा।
		परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि ग्रीन बेल्ट किस स्थान पर प्रस्तावित है, संबंधित ग्राम पंचायत कौन-सी है तथा कितने पौधे लगाए जाएंगे?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्रीन बेल्ट क्रशर साइट स्थित ग्राम पंचायत मोहकमपुर में विकसित की जाएगी तथा कुल 200 पौधे लगाए जाएंगे।
		परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि घरेलू अपशिष्ट जल का निस्तारण कहाँ किया जाएगा तथा क्या इसके लिए कॉमन STP या अन्य प्रावधान उपलब्ध है?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि घरेलू अपशिष्ट का निस्तारण सेप्टिक टैंक/मॉड्यूलर सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाएगा।
2	श्री जसप्रीत सिंह, ग्राम एवं ग्राम पंचायत शिवपुर।	परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि खनिज परिवहन से उत्पन्न धूल (PM/PM2.5) को नियंत्रित करने हेतु पानी के छिड़काव की प्रभावशीलता क्या है तथा वर्तमान में संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों में इसकी निगरानी कैसे की जा रही है? सड़कों की वर्तमान स्थिति एवं उनकी वहन क्षमता क्या है? प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट (200 पौधे) क्या वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त होगी? मौजूदा स्टोन क्रशर इकाइयों में पर्यावरणीय उपायों का वास्तविक अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है और प्रस्तावित परियोजना में इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? खनन लीज से कौन-कौन से खनिज निकाले जाएंगे? परियोजना हेतु जल का स्रोत क्या होगा तथा सस्पेंडेड पार्टिकल्स/कीचड़ (यदि उत्पन्न हो) का निस्तारण कैसे किया जाएगा? परिवहन हेतु किस प्रकार के वाहन/ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का उपयोग किया जाएगा तथा वर्तमान में गैर-व्यावसायिक ट्रॉलियों के उपयोग को कैसे रोका जाएगा? क्या कारण है कि ग्राउंड रियलिटी एवं दस्तावेजों में अंतर पाया जाता है? शिकायतों एवं RTI पर कार्यवाही एवं पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? पूर्व	क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनसुनवाई केवल प्रस्तावित खनन परियोजना से संबंधित है तथा अन्य विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी; ऐसे मुद्दे लिखित रूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनिज पदार्थ का उत्खनन किया जाएगा तथा पर्यावरणीय समस्याओं की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय प्रस्तावित हैं, जिनकी अनुपालना रिपोर्ट प्रत्येक 6 माह में संबंधित विभाग को प्रस्तुत की जाएगी तथा निरंतर निगरानी रखी जाएगी। यह भी बताया गया कि परियोजना अभी प्रस्तावित है तथा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ होगा। परियोजना हेतु जल स्रोत के रूप में ट्यूबवेल का प्रावधान बताया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि किसी प्रकार की वॉशिंग नहीं होगी, केवल

		जनसुनवाई की रिपोर्ट समय पर क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गईं? पब्लिक हियरिंग की उपयोगिता क्या है यदि शिकायतों पर प्रतिक्रिया नहीं मिलती? क्या सभी वाहन सामग्री को ढककर ले जाते हैं तथा बिना लाइसेंस/दस्तावेज वाले वाहनों के संचालन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?	डायरेक्ट लोडिंग की जाएगी। परिवहन के लिए संबंधित विभाग में पंजीकृत व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का ही उपयोग किया जाएगा तथा उनकी GPS ट्रैकिंग भी की जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि सभी मुद्दों को नियमानुसार संबोधित किया जाएगा तथा परियोजना से संबंधित बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। वाहन कवरिंग से संबंधित विषय को RTO के अधिकार क्षेत्र का बताते हुए संबंधित अधिकारी से जानकारी लेने हेतु कहा गया। परियोजना सलाहकार द्वारा यह भी बताया गया कि परियोजना की अनुपालना रिपोर्ट पर्यावरण विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विभागों को लिखित शिकायत दी जा सकती है। पर्यावरण स्वीकृति की प्रति पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध रहेगी।
3	श्री इकराम अली, ग्राम पंचायत ,नवादा	परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि संबंधित ग्राम पंचायत में कितने पेड़-पौधे लगाए जाएंगे?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना के अंतर्गत कुल 200 पौधों का रोपण किया जाएगा।
4	श्री जयपाल सिंह, ग्राम	वक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित खनन एवं क्रशर गतिविधियाँ	टिप्पणी दर्ज की गई।

	पंचायत , नवादा	निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित हो रही हैं तथा धूल नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव भी नियमानुसार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने का समर्थन किया।	
5	श्री रविंदर कुमार, ग्राम पंचायत , नवादा	परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि धूल की रोकथाम हेतु कौन-कौन से उपाय किए जाएंगे?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि धूल नियंत्रण हेतु वाहनों की गति नियंत्रित रखी जाएगी, नियमित रूप से दिन में 2–3 बार पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा वाहनों को तिरपाल से ढककर परिवहन किया जाएगा।
6	श्री भूरा राम, ग्राम पंचायत , नवादा	परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि क्रशर से उत्पन्न अपशिष्ट जल के नदी में प्रवाह के संबंध में क्या प्रावधान किए जाएंगे?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन स्थल पर किसी प्रकार की धुलाई नहीं होगी तथा सामग्री को सीधे क्रशर तक ले जाया जाएगा, जहाँ धुलाई की जाएगी।
7	श्री सुरेश सैनी, पूर्व उपप्रधान, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनसुनवाई प्रक्रिया उचित है तथा प्रस्तावित खनन से क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने बताया कि खनन गतिविधियाँ नियमानुसार संचालित हो रही हैं, धूल प्रदूषण की कोई विशेष समस्या नहीं है तथा क्रशर भी उपयुक्त स्थान पर स्थापित है। साथ ही स्थानीय स्तर पर वाहनों के संचालन में प्राथमिकता दिए जाने का सुझाव दिया गया तथा परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने का समर्थन किया गया।	श्री पवन शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब. अभी हम एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पर बात करेंगे, किसी की टिप्पणी की रेफरेंस नहीं लेंगे।
8	श्री इकराम अली, ग्राम पंचायत ,नवादा	परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि स्थानीय लोगों को रेत-बजरी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी या नहीं तथा क्या परियोजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जैसे शिक्षा, वस्त्र आदि) को सहायता प्रदान की जाएगी?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रेत-बजरी निःशुल्क अथवा रियायती दर पर उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही धार्मिक स्थलों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता हेतु भी तत्परता व्यक्त की गई।

9	श्री जहांगीर अली, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि यद्यपि स्थानीय स्तर पर सहयोग किया जाता है, तथापि सड़कों पर धूल नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने नियमित छिड़काव सुनिश्चित करने तथा लीज क्षेत्र के आसपास पौधारोपण करने की आवश्यकता बताई। साथ ही परियोजना को स्वीकृति देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।	क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त विषय की जांच संबंधित विभाग अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
10	श्री विनय कुमार, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि रामपुर घाट से नवादा आने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा वाहनों के आवागमन से निरंतर नुकसान हो रहा है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना प्रारंभ होने के उपरांत सड़क मरम्मत हेतु प्रावधान किया गया है, जिसका कार्य प्रतिवर्ष किया जाएगा तथा किसी भी कमी की सूचना संबंधित विभाग को दी जा सकती है।
11	श्री जहांगीर अली, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि खनन से प्राप्त धनराशि का लाभ संबंधित ग्राम पंचायत को पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है तथा यह अन्य पंचायतों में व्यय हो रहा है। उन्होंने खनन प्रभावित पंचायत को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिए जाने की मांग की।	जिला खनन अधिकारी द्वारा बताया गया कि DMFT निधि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है तथा संबंधित ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
12	श्रीमती राजिया बेगम, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि उन्हें प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है तथा कार्य प्रारंभ किए जाने का समर्थन किया गया।	टिप्पणी दर्ज की गई।
13	श्री श्याम लाल सैनी, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रक्रिया नियमानुसार संचालित हो रही है तथा धूल नियंत्रण हेतु पानी के छिड़काव का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना से लाभ एवं कुछ हानि दोनों हैं, परंतु उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्होंने परियोजना का समर्थन किया।	टिप्पणी दर्ज की गई।

14	श्री सुरजीत सिंह, ग्राम एवं ग्राम पंचायत शिवपुर	परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि खनन की गहराई 1 मीटर तक ही सीमित रहेगी या नहीं तथा खनन कार्य वास्तव में मैन्युअली किया जाएगा या मशीनों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पूर्व में भी नियमों के अनुपालन न होने की बात उठाई गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन कार्य अधिकतम 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। खनन कार्य मैन्युअली किया जाएगा, जबकि स्टॉकयार्ड पर लोडिंग हेतु JCB का उपयोग किया जाएगा। किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित विभाग में शिकायत करने के लिए कहा गया।
15	श्री साबिर अली, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने रामपुर घाट–नवादा मार्ग की खराब स्थिति को सुधारने तथा DMFT निधि से सड़क को पक्का किए जाने की मांग की, क्योंकि उक्त मार्ग पर भारी वाहनों के कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव तैयार कर संबंधित प्राधिकरण (डीएम) को भेजा जा सकता है।
16	श्री हरीश सैनी ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना का पूर्ण समर्थन किया गया तथा अवगत करवाया या गया कि क्षेत्र में भूमि कटाव एवं बाढ़ की समस्या को देखते हुए खनन गतिविधियाँ उपयोगी हैं। साथ ही DMFT निधि का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया तथा परियोजना से स्थानीय रोजगार प्राप्त होने की बात कही गई।	टिप्पणी दर्ज की गई।
17	श्री मेहबूब ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि खनन गतिविधियों के कारण भूमि कटाव एवं गहरे गड्ढे उत्पन्न हो गए हैं, जिससे भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में जल स्तर गिरने तथा जल की उपलब्धता न होने की समस्या भी बताई गई। खनन गतिविधियों की	क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त विषय का संबंधित विभाग द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

		निगरानी एवं संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट न होने की बात उठाई गई तथा शिकायतों के निवारण हेतु उचित व्यवस्था की मांग की गई। साथ ही खेतों के समीप खनन न करने, सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने एवं स्थल निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कार्य नियमानुसार किया जाए।	
18	श्री पवन, ग्राम एवं ग्राम पंचायत शिवपुर	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि खनन/क्रशर गतिविधियों से प्राप्त CAR/CSR निधि का उपयोग स्थानीय क्षेत्र में नहीं हो रहा है। उन्होंने सड़कों की खराब स्थिति, धूल प्रदूषण तथा बुनियादी सुविधाओं (जैसे स्वास्थ्य एवं अवसंरचना) की कमी पर चिंता व्यक्त की। साथ ही CSR राशि को अपर्याप्त बताते हुए स्थानीय क्षेत्र में उचित विकास कार्य किए जाने की मांग की गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि CSR के अंतर्गत ₹4 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग चिकित्सा एवं शिक्षा सहित ग्राम पंचायत के विकास कार्यों हेतु किया जाएगा। यह राशि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने एवं परियोजना प्रारंभ होने के उपरांत उपलब्ध होगी। साथ ही बताया गया कि लीज क्षेत्र 30 बीघा है तथा इसकी जानकारी एवं अनुपालना विवरण लिखित रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा।
19	श्री जसप्रीत सिंह, ग्राम एवं ग्राम पंचायत शिवपुर।	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि खनन गतिविधियों की ग्राउंड स्तर पर जांच एवं निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल के समीप एवं पिलरों के नीचे भी खनन किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो रहा है, तथा इस पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।	अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि उक्त बिंदु को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है तथा इसकी जांच की जाएगी।
20	श्री सुरेश सैनी, पूर्व उपप्रधान, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि रेत-बजरी आम लोगों, विशेषकर गरीब व्यक्तियों को सहज रूप से उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही वार्ड संख्या-7 में वाहनों के आवागमन को देखते हुए प्रकाश व्यवस्था एवं पानी के छिड़काव की उचित व्यवस्था	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के लिए 4 सोलर लाइटों का प्रावधान किया गया है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जा सकता है।

		किए जाने की मांग की गई।	
21	श्री टीपू, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि खनन गतिविधियों से उनकी भूमि का संरक्षण हुआ है तथा उन्होंने परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने का समर्थन किया।	टिप्पणी दर्ज की गई।
22	श्री शमीम अहमद, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि खनन गतिविधियों से क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, अतः परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही वार्ड संख्या-7 में वाहनों के आवागमन से धूल की समस्या को देखते हुए पानी की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई।	टिप्पणी दर्ज की गई।
23	श्री विजय कुमार, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि पुल के समीप बाहरी/अन्य गांवों के लोगों द्वारा खनन गतिविधियां की जा रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर अनियमितता की स्थिति उत्पन्न हो रही है।	टिप्पणी दर्ज की गई।
24	श्रीमती मेराज खातून, प्रधान, ग्राम पंचायत , नवादा	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि सड़कों पर धूल नियंत्रण हेतु पानी के छिड़काव की नियमित एवं स्वचालित व्यवस्थां सुनिश्चित की जाए। उन्होंने भूमि कटाव को रोकने हेतु अधिक मात्रा में पौधारोपण करने की आवश्यकता बताई तथा DMFT निधि का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की मांग की। साथ ही सड़क मरम्मत, गड्ढों को भरने एवं वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना से रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा निर्धारित शर्तों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि धूल नियंत्रण हेतु सड़कों पर दिन में 3–4 बार पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। CSR के अंतर्गत सोलर लाइटों का प्रावधान किया गया है तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त लाइटें भी लगाई जा सकती हैं। DMFT निधि का उपयोग संबंधित पंचायत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार किया जाएगा। साथ ही परियोजना प्रारंभ होने के उपरांत सड़क मरम्मत का कार्य नियमित रूप से किया जाएगा।
25	श्री प्रदीप	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि	टिप्पणी दर्ज की गई।

	कुमार सैनी, ग्राम पंचायत , नवादा	परियोजना प्रस्तावक स्थानीय लोगों के साथ सहयोग करते हैं तथा उन्होंने खनन पट्टे को स्वीकृति प्रदान किए जाने का समर्थन किया।	
26	श्री कुलविंदर सिंह, ग्राम एवं ग्राम पंचायत शिवपुर।	वक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि शिवपुर मार्ग की स्थिति खराब है, जिसे ठीक किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने परियोजना गतिविधियों के प्रति सहमति व्यक्त की।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र मोहकमपुर नवादा में स्थित है तथा शिवपुर मार्ग इसके दायरे से बाहर है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गों की मरम्मत की जाएगी।

जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमूह को आश्वस्त किया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावों, विचारों एवं टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा।

जनसुनवाई की कार्यवाही के दौरान किसी भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति की लिखित समीक्षा नहीं की गई।

पर्यावरण जन सुनवाई कार्यक्रम में 87 लोग उपस्थित रहे। अतः 26 लोगों ने अपने विचार व सुझाव रखे। सभी लोगों ने लोगों ने प्रस्तावित खनन गतिविधि से सम्बंधित अपने प्रश्न रखे जिसका की परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तारपूर्वक जवाब दिया गया।

अंत मे जनसुनवाई के समापन पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

डॉ लायक राम वर्मा

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

Attendance Sheet for public hearing for proposal submitted by M/s Shri Gopal Chand S/o Sh. Sadhu ram proposed mining area/project, for extraction/collection of sand, stone boulder and bajri at Kh. No. 589/477/188 & 635/613/590/188 over an area measuring 30 Bighas (2.52 Hect) @ 51,520 MTPA at Mohal/ Mauza Mohkampur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) on 27.03.2026 (11:30 AM) at Open Ground near Daffodil school,Nawada,Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.)

जन सुनवाई के लिए उपस्थिति पत्रक मेसर्स श्री गोपाल चंद, पुत्र श्री साधु राम द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र/ परियोजना प्रस्ताव, जिसका खसरा नं. 589/477/188 एवं 635/613/590/188 पर स्थित 30 बीघा (2.52 हेक्टेयर) क्षेत्र में रेत, पत्थर बोल्डर एवं बजरी के खनन/संग्रहण (51,520 एमटीपीए) के संबंध में, मोहल/मौजा मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र.) में आयोजित लोक सुनवाई के लिए दिनांक: 27.03.2026 समय: प्रातः 11:30 बजे स्थान: डैफोडिल स्कूल के पास खुला मैदान, नवादा, पांवटा साहिव, जिला सिरमौर (हि.प्र.)

Sr.No.	Name	Address	Signature
1	Naseema	Mokhampur Nawad	[signature]
2.	Nura Khatun	Mokhampur Nawada	[signature]
3.	Tajender Prakash	S.I. Fisheries DPH. Badhai Pur.	[signature]
4.	Shehroz Shahzad	Nawada	[signature]
5	Tasuvvr	Nawada	Tasuvvr
6	Shamim.	Nawada	[signature]
7	Sabir Ali.	Sabir Ali नवादा	Sabir Ali.
8	अनीस	नवादा	[signature]
9.	वाजिद	नवादा	[signature]
10	हरविन्द्र सिंह	शिवपुर	Harvinder सिंह
11	छज्जूलाल	नवादा	छज्जूलाल
12	महमूद	नवादा	[signature]
13	ईद्रशअली	नवादा	[signature]
14	Gitesh	ALS. Bhagani	[signature]
15	Rajesh	Patwari Shivpur	[signature]
16.	Suresh Saini	Nawada	S. Saini
17	चौहर सिंह	नवादा	[thumb impression]
18	Amir khan	नवादा	[signature]
19	Abid Ali	नवादा	Abid Ali

हिमाचल प्रदेश सरकार

Attendance Sheet for public hearing for proposal submitted by M/s Shri Gopal Chand S/o Sh. Sadhu ram proposed mining area/project, for extraction/collection of sand, stone boulder and bajri at Kh. No. 589/477/188 & 635/613/590/188 over an area measuring 30 Bighas (2.52 Hect) @ 51,520 MTPA at Mohal/ Mauza Mohkampur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) on 27.03.2026 (11:30 AM) at Open Ground near Daffodil school,Nawada,Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.)

जन सुनवाई के लिए उपस्थिति पत्रक मेसर्स श्री गोपाल चंद, पुत्र श्री साधु राम द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र/ परियोजना प्रस्ताव, जिसका खसरा नं. 589/477/188 एवं 635/613/590/188 पर स्थित 30 बीघा (2.52 हेक्टेयर) क्षेत्र में रेत, पत्थर बोल्डर एवं बजरी के खनन/संग्रहण (51,520 एमटीपीए) के संबंध में, मोहल/मौजा मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र.) में आयोजित लोक सुनवाई के लिए दिनांक: 27.03.2026 समय: प्रातः 11:30 बजे स्थान: डैफोडिल स्कूल के पास खुला मैदान, नवादा, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र.)

Sr.No.	Name	Address	Signature
20	Arif Khan	नवादा	Arif Khan
21	Anees	नवादा	Anees
22	Manfaj Ali	Nawada	[signature]
23	Bhuru Ram	Nawada	[signature]
24	Ravinder Kumar	Nawada	[signature]
25	Javed	Nawada	Javed
26	Nayeem Ansari	Nawada	Nayeem Ansari
27	Rahish Khan	Nawada	Rahish Khan
28	Meer Hasan	Nawada	मीर हसन
29	Kamil	Nawada	कामिल
30	Mushahid	Nawada	[signature]
31	Kamal Kant	Shivpur	[signature]
32	आरिश खान	NAWADA	आरिश खान
33	Himanshu Saini	Nawada.	[signature]
34	Lovrej Khan.	Nawada	[signature]
35	Vijay Kumar	Nawada	[signature]
36	मनीष	Nawada	मनीष
37	Mudshir	Nawada	[signature]
38	Wasim Ali	Nawada.	Wasim Ali

हिमाचल प्रदेश सरकार

Attendance Sheet for public hearing for proposal submitted by M/S Shri Gopal Chand S/o Sh. Sadhu ram proposed mining area/project, for extraction/collection of sand, stone boulder and bajri at Kh. No. 589/477/188 & 635/613/590/188 over an area measuring 30 Bighas (2.52 Hect) @ 51,520 MTPA at Mohal/ Mauza Mohkampur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) on 27.03.2026 (11:30 AM) at Open Ground near Daffodil school,Nawada,Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.)

जन सुनवाई के लिए उपस्थिति पत्रक मेसर्स श्री गोपाल चंद, पुत्र श्री साधु राम द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र/ परियोजना प्रस्ताव, जिसका खसरा नं. 589/477/188 एवं 635/613/590/188 पर स्थित 30 बीघा (2.52 हेक्टेयर) क्षेत्र में रेत, पत्थर वोल्डर एवं बजरी के खनन/संग्रहण (51,520 एमटीपीए) के संबंध में, मोहल/मौजा मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र.) में आयोजित लोक सुनवाई के लिए दिनांक: 27.03.2026 समय: प्रातः 11:30 बजे स्थानः डैफोडिल स्कूल के पास खुला मैदान, नवादा, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र.)

Sr.No.	Name	Address	Signature
39	विद्या	बागरा	वि. विद्या
40	सुनीता देवी	बागरा	[signature]
41	पिंकी	बागरा	Pinki
42	तारो देवी	फूलपुर	[signature]
43	मेराज खातून	प्रधान नवादा	[signature]
44	सुभाष चन्द	नवादा	[signature]
45	Tamanna	Nawada	[signature]
46	Sanam	Nawada	[signature]
47	रजिया बेगम	नवादा	रजिया बेगम
48	Surjeet Singh	शिवपुर	[signature]
49	Harminder Sing	Shivpur	[signature]
50	Nikhil Saini	Nawada	[signature]
51	Jasbir Singh	Shivpur	[signature]
52	HARmail Sing	Shivpur	HARmail Sn
53	Harish Saini	Nawada	[signature]
54	Manjeet Singh	Agri. Dev. officer, Paonta Sahib	[signature]
55	Pardeep Saini	Mohkampur Nawada	P.K. Saini
56	Jaspreet Singh	Shivpur	[signature]
57	[illegible]	नवादा	[signature]

हिमाचल प्रदेश सरकार

Attendance Sheet for publi[…]proposal submitted by M/s Shri Gopal Chand S/o Sh. Sadhu ram proposed mining area/project, for extraction/collection of sand, stone boulder and bajri at Kh. No. 589/477/188 & 635/613/590/188 over an area measuring 30 Bighas (2.52 Hect) @ 51,520 MTPA at Mohal/ Mauza Mohkampur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) on 27.03.2026 (11:30 AM) at Open Ground near Daffodil school,Nawada,Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.)

जन सुनवाई के लिए उपस्थिति पत्रक मेसर्स श्री गोपाल चंद, पुत्र श्री साधु राम द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र/ परियोजना प्रस्ताव, जिसका खसरा नं. 589/477/188 एवं 635/613/590/188 पर स्थित 30 बीघा (2.52 हेक्टेयर) क्षेत्र में रेत, पत्थर बोल्डर एवं बजरी के खनन/संग्रहण (51,520 एमटीपीए) के संबंध में, मोहल/मौजा मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र.) में आयोजित लोक सुनवाई के लिए दिनांक: 27.03.2026 समय: प्रातः 11:30 बजे स्थानः डैफोडिल स्कूल के पास खुला मैदान, नवादा, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र.)

Sr.No.	Name	Address	Signature
58	Asjad	Nawada	Aman
59	Tohid	Nawada	
60	Umang	Nwada	Umang
61	Jaipal singh	Nawada	Jaipal
62	Nazim Ali	Nawada	
63	Gian Chand	Nawada	Gian Chand
64	Anuj Kumar	Mining Guard	Anuj 27.03.2026
65	Ravi Kumar	S/o Nawada	
66	Mohd	Shivpur	
67	Ranjeet Singh	Shivpur	
68	Pawan Sharma	Shivpur	
69	Jaspreet Singh (Lali)	Shivpur	Jassi
70	IKRAM ALi	Nawada	
71	Manish Kumar	Nawada	
72		〃	
73	Davinder Singh	nawada	
74	Devraj	Nawada	
75	Kamal	Nawada	Kamal
76	Rinku kumar	Nawada	Rinku kumar

हिमाचल प्रदेश सरकार

Attendance Sheet for public hearing for proposal submitted by M/s Shri Gopal Chand Mining Lease, for extraction/collection of sand, stone boulder and bajri at Kh. No. 589/477/188 & 635/613/590/188 over an area measuring 30 Bighas (2.52 Hect) @ 51,520 MTPA at Mohal/ Mauza Mohkampur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) on 27.03.2026 (11:30 AM) at Open Ground near Daffodil school,Nawada,Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.)

Sr.No.	Name	Address	Signature
77	Amjad Khan	Nawada	[signature]
78	Aman R.T	Nawada	[signature]
79	VIJAY KUMAR		[signature]
80	Sona Chandel	RTO Sirmaur	[signature]
81	M. R Sharma	Asstt Mining Inspector	[signature]
82	Mehboob Ali	Nawada	[signature]
83	[illegible]	[illegible]	[signature]
84	Pawan	Shivpur	[signature]
85	Ram Bhej Tomar	Assistant Engineer HPPWD Paonta Sahib	[signature]
86	Ajay Chauhan	Junior Engineer HPPWD do	[signature]
87	N.S. Narwal	Env. Consultant	[signature]